

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.का.स्था(हक)/I/2026-27

No. OE (Entt)/I/2026-27/

दिनांक/ Dated: 11-09-2026

परिपत्र सं/CIRCULAR No.45

विषय: 15 सितंबर 2026 से सीएजी-एचआरएमएस के ज़रिए दावे की अनिवार्य प्रसंस्करण के संबंध में।

Sub: Mandatory processing of claims through CAG-HRMS w.e.f 15 September 2026-reg.

मुख्यालय ने दिनांक 02.07.2026 के पत्र संख्या 199/OE&ENTT/CAGHRMS/2025-26 के ज़रिए सभी क्षेत्र कार्यालय को निर्देश दिया है कि वे छह वर्ग - यात्रा भत्ता, दूरभाष भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति, चिकित्सा और आकस्मिक दावे - के तहत सभी दावे की प्रसंस्करण सिर्फ सीएजी-एचआरएमएस में उपलब्ध संबंधित मॉड्यूल के ज़रिए ही करें। इसलिए, 15 सितंबर 2026 से, ऊपर बताई गई छह वर्ग के तहत आने वाले सभी दावे अनिवार्य रूप से संबंधित सीएजी-एचआरएमएस मॉड्यूल के ज़रिए ही जमा और प्रसंस्करण किए जाएंगे। चूंकि सीएजी-एचआरएमएस मॉड्यूल का विस्तार अभी पी ए ओ तक नहीं किया गया है, इसलिए अधिकारियों को सीएजी-एचआरएमएस मॉड्यूल के ज़रिए जमा किए गए आवेदन की प्रति के साथ मूल सहायक दस्तावेज़ भी संबंधित अनुभाग में भौतिक रूप से जमा करने होंगे ताकि आगे की प्रसंस्करण हो सके। इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने अभी तक सीएजी-एचआरएमएस में सर्विस बुक की जानकारी अद्यतन नहीं की है, उन्हें इसे तुरंत अद्यतन करना होगा क्योंकि सीएजी-एचआरएमएस के ज़रिए दावे जमा करने के लिए यह ज़रूरी शर्त है।

सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सर्विस बुक की ज़रूरी जानकारी सीएजी-एचआरएमएस में अद्यतन और जमा की जाए, और सभी दावे तय सीएजी-एचआरएमएस मॉड्यूल के ज़रिए ज़रूरी मूल सहायक दस्तावेज़ के साथ संबंधित अनुभाग में बिना किसी चूक के जमा किए जाएं।

HQrs., vide Letter No.199/OE&ENTT/CAGHRMS/2025-26 dated 02.07.2026, has directed all field offices to process all claims under the six deployed categories, namely **Travelling Allowance (TA), Telephone Allowance,**

Children Education Allowance (CEA), Newspaper, Medical and Contingent Claims, exclusively through the respective modules available in CAG-HRMS. Accordingly, it is reiterated that, w.e.f **15 September 2026** all claims falling under the aforesaid six categories shall invariably be submitted and processed through the respective CAG-HRMS modules only. As the CAG-HRMS module has not yet been extended to the PAO, officials are also required to submit the original supporting documents along with a copy of the application submitted through the CAG-HRMS module, physically to the respective sections for further processing. Additionally, officials who are yet to complete the updating of service book details in CAG-HRMS are required to submit it immediately as it is a prerequisite for submission of claims through CAG-HRMS.

All concerned officials are therefore requested to ensure that the requisite service book details are updated and submitted in CAG-HRMS and all claims are submitted through the prescribed CAG-HRMS modules along with the requisite original documents, to the respective sections without fail.

{व उप म ले (प्रशा) के दि. 11-09-2026 के आदेशानुसार/
Vide orders dated 11-09-2026 of Sr. DAG (Admn.) }

Digitally signed by
Subha. V.L
Date: 14-09-2026
11:43:13

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हक
Senior Audit Officer/Entt

सेवा में/To

1. सूचना पट्ट/ Notice board
2. सभी अधिकारीगण/All Officers
3. सभी अनुभाग एवं क्षेत्रीय दल/All Sections and field parties
4. शाखा कार्यालय/Branch Offices
5. स्टॉक फाइल/Stock file

